

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक
06 नवम्बर, 2019 का कार्यवृत्त**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें:-

उपस्थिति:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 01. श्री अभिषेक प्रकाश | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 02. श्री प्रभु एन0 सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 03. सुश्री अपूर्वा दुबे | विशेष सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 04. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा | अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन। |
| 05. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0। |
| 06. श्री सुनील चौधरी | मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद। |
| 07. श्री एम0के0 सिंह | मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 08. श्री बी0एल0 गौतम | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम। |
| 09. श्री अनुपम श्रीवास्तव | क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन। |
| 10. सुश्री रेखा श्रीवास्तव | अपर सांख्यिकी अधिकारी, प्रतिनिधि-अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |

अन्य उपस्थिति:-

- | | |
|---------------------------|---|
| 11. श्री एम0पी0 सिंह | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 12. श्री अनिल भटनागर | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. श्री आर0के0 सिंह | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 14. श्री इन्दु शेखर सिंह | मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 15. श्री पंकज कुमार | नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 16. श्री संदीप श्रीवास्तव | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 17. श्री नितिन मित्तल | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |
| 18. श्री आर0जी0 सिंह | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0। |
| 19. श्री चक्रेश जैन | अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 20. श्री पी0सी0 पाण्डेय | अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
166/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या-7, 8 एवं 9 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या-2 में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 के क्रम में पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
166/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
166/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। "नो प्राफिट-नो लॉस" एवं शासन की

		मंशानुरूप जन-सामान्य को किफायती दरों पर आवास (अफोर्डेबल हाउस) उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के 17 से 20 वर्ष पुराने 5 अदद हल्के वाहनों को निम्नयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन, बजट होटल एवं जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, सेक्टर-ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/6	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गणना अनुभाग में एक अनुभवी वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा ओ0टी0एस0 योजना लागू किये जाने के पश्चात्, तत्समय से 06 माह की अवधि तक मूल्यांकन कार्य करने हेतु अनुभवी एवं सेवानिवृत्त एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट को शासनादेशानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को कम/फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित भूमि 12.32 हे० की धनराशि ₹० 160.42 करोड के सापेक्ष चक गंजरिया परियोजना में 9.74 एकड़ के सापेक्ष व्यवसायिक भूखण्ड सं०-ई-4 (2.74 एकड़), ई-6 (3.21 एकड़) एवं ई-7 (3.55 एकड़) अर्थात् कुल 9.5 एकड़ को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में करने एवं शेष 0.24 एकड़ के मूल्य की धनराशि वाह्य विकास शुल्क/अन्य व्यय में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/9	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत रेण्ट अनुभाग में किराये पर आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की रेण्ट सम्पत्तियों के अन्तर्गत व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 के अनुसार उसका 25 प्रतिशत एवं आवासीय सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 में उल्लिखित व्यावसायिक दरों का आधा करने के पश्चात् उसका 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही सम्बन्धित किरायेदार को रेण्ट बढ़ोतरी के साथ-साथ शासनादेशानुसार सम्पत्ति क्रय किये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
166/10	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं जो नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति के	सम्यक् विचारोपरान्त जो योजनाएं नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को बाइलॉज

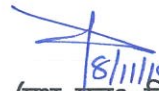
	सम्बन्ध में।	एप्रूवल करने के लिए प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
166/11	लखनऊ शहर के विभिन्न मार्गों पर निर्मित पुलों के रख-रखाव के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित-“सहारा शहर से जनेश्वर मिश्र पार्क के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु” एवं “ग्वारी चौराहे से गोमती नगर विस्तार के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु” (पुलों/आर0ओ0बी0/सड़क सहित) को अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को स्वामित्व सहित हस्तान्तरित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
166/12	शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत विस्थापितों को दिये गये भूखण्डों एवं प्रतिकर भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही 27 अपात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई वाद लम्बित है, तो उनके परीक्षण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय एवं गठित समिति की रिपोर्ट आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय, ताकि इस स्थिति का निस्तारण किया जा सके।
166/13	“लैण्ड पूलिंग स्कीम” के क्रियान्वयन हेतु नीति विषयक शासनादेश दिनांक 20.02.2019 को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/14	लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर आवासीय योजना से प्रभावित काश्तकारों/भूमिधरों के विवादों का निस्तारण नये भू-अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश के क्रम में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं दर निर्धारित होने के पश्चात पुनः बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही भविष्य में जब भी कार्य हो यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अधिकतम 3 या 4 जोन बनाकर ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्ट पर किसी एक ही एजेन्सी को एक जोन का कार्य दिया जाय, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं ड्रेनेज की लाइन में एकरूपता रहें।
166/15	बालू अड़डा प्रयाग नारायण रोड स्थित 339 अध्यासियों के भवनों की भूमि को काबिज व्यक्तियों के नाम समायोजित/आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/16	मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में ग्राम-बाघामऊ में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 मानचित्र पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 18.09.19 में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/17	अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 की स्थापना के क्रम में सी0जी0 सिटी योजना के संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान किये जाने तथा जन-सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण के उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/18	गोमती नदी के दांये तट पर अमर शहीद पथ	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया

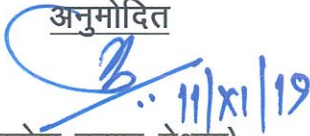
	से पिपरा घाट तक बन्धा निर्माण किये जाने एवं उक्त कार्य के बजट, सिंचाई विभाग को प्रेषित करने तथा दिनांक 21.12.2016 से प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 में संशोधन के क्रम में जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई समिति के निस्तारण उपरान्त उ0प्र0 शासन को संदर्भित किये जाने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	तथा शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/19	रेलवे लैण्ड डेवलपमेन्ट एथारिटी (RLDA) के प्रस्तुत मानचित्रों के भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त महायोजना प्राविधानों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/20	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014) के अन्तर्गत मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-सिद्धपुरा, तहसील-मोहनलाल गंज, लखनऊ में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/21	नियोजन अनुभाग में 02 सहायक नगर नियोजक के समकक्ष एवं एक जी0आई0एस0 प्रशिक्षित को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाये लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/22	मानसरोवर योजना के सेक्टर-ओ अन्तर्गत 04 आवासीय भूखण्डों तथा एक व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सीपी-1 (क्षेत्रफल-1040.62 वर्गमी0) के इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धान्तिक अनुमति के साथ उक्त व्यवसायिक भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/23	इण्डिस्ट्रियल योजना, ऐशबाग, लखनऊ के भूखण्ड सं0-09, 09ए तथा 10ए में सम्मिलित कुल भूमि क्षेत्रफल-2,91,896.00 वर्ग फिट अर्थात् 27127.88 वर्गमी0 का भू-उपयोग पूर्व योजना के तलपट मानचित्र में औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/24	कानपुर रोड योजना, सेक्टर-जी के अन्तर्गत एस0एस0 श्रेणी के भूखण्ड संख्या- 997 से 1027 भूमि का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/25	भूखण्ड संख्या-221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम-बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
166/26	शहीद पथ पर पी0पी0पी0 मोड पर विकसित अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीडा संकुल व क्रिकेट अकादमी योजना में भू-उपयोग परिवर्तन एवं महायोजना मार्ग की चौड़ाई में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

166/27	सुबेदार राजदेवी मेमोरियल, एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा ग्राम-भैसामऊ परगना-महोना, तहसील-बख्शी का तालाब, लखनऊ की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
166/28	सिन्डर्स डम्प योजना, लखनऊ के रि-रिवाइज्ड पार्ट इक्जीक्यूशन प्लान पर सैद्धान्तिक अनुमति के साथ निर्मित व्यवसायिक भवनो के दृष्टिगत तलपट मानचित्र में आरक्षित पार्किंग स्थल को व्यवसायिक में तथा स्पेस फार क्योस्क को पार्किंग में परिवर्तन करने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/29	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को निजी विकासकर्ता के माध्यम से विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के समय यह संज्ञान में आया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कानपुर रोड योजना (आशियाना) हेतु मेसर्स अंसल हाऊसिंग फाइनेन्स एण्ड लीजिंग कम्पनी लि० एवं रायबरेली रोड योजना (रवि खण्ड, रक्षा खण्ड) हेतु मेसर्स एल्लिको हाऊसिंग एण्ड फाइनेन्स लि० तथा रायबरेली रोड योजना (रत्नाकर खण्ड) हेतु मेसर्स यूनिटेक लि० से वर्ष 1987 एवं 1988 में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर विकसित किये जाने का निर्णय लेते हुए अनुबन्ध किया गया था। प्राधिकरण की मोहान रोड योजना भी उसी प्रकार प्रस्तावित की गयी है जिसका अर्जन एवं उस पर होने वाले व्यय प्राधिकरण द्वारा किया गया है। प्राधिकरण द्वारा चयनित कन्सलटेन्ट मेसर्स जे०एल०एल० द्वारा तैयार किये गये बिड डॉक्यूमेन्ट्स एवं आर०एफ०पी० के अनुसार तथा ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट में तदनुसार समाविष्ट करते हुए निजी विकासकर्ता के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर शासन के संज्ञान में लाते हुए विकसित कराये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से लाइसेन्स के आधार पर विकसित की गई योजनाओं में जन-सामान्य एवं आवंटियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसके निराकरण को समावेश करते हुए कार्यवाही की जाए तथा रेरा अधिनियम के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आर्बिटेटर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे। आर्बिटेटर का निर्णय सभी उभय पक्षों को मान्य होगा। इस बात का समाविष्ट भी कर लिया जाए।
166/30	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटियों को आवंटित कुछ सम्पत्तियाँ अर्जनीय/सीमांकन/न्यायालय में विवाद या न्यायालय के निर्णय आदि होने के कारण अन्य योजनाओं में सम्पत्तियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/31	व्योम खण्ड, गोमती नगर विस्तार के आवंटियों को बसंतकुंज योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में समायोजन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लें कि अब इस प्रकार का कोई भी

		प्रकरण लम्बित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्पत्ति अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र/आख्या भी प्राप्त कर ली जाय और उसे पत्रावली पर सुरक्षित रखा जाय। भविष्य के लिए इसे नजीर न बनाया जाय।
166/32	जानकीपुरम योजना सेक्टर-जी में समायोजित भूखण्ड संख्या-सी-1/359ए तथा सी-1/362ए का भू-उपयोग ग्रीन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/33	जनपद-लखनऊ शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु एलाइनमेंट अंकित कर संशोधित तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/34	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28 (क) के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस प्रकार के पूर्व के प्रतिनिधायनों को भी तदनुसार मान्यता प्रदान की गई।
166/35	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या- SSE-87 से भवन/भूखण्ड सं०-SSE-163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/36	उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती रेजीडेन्सी प्रा०लि० द्वारा ग्राम-मस्तेमऊ व बक्कास जनपद-लखनऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी०पी०आर० पर बैठक दिनांक 01.11.2019 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में डी०पी०आर० स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


 (एम०पी० सिंह)
 सचिव, ल०वि०प्रा०,
 लखनऊ।


 (प्रभु एन० सिंह)
 उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०,
 लखनऊ।

अनुमोदित

 (मुकेश कुमार मेश्राम)
 अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
 लखनऊ।